सख्या 392/उन्तीस(2)/08–2(126पे0)/2007

प्रेषक,

एम0एच0खान
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 01 सितम्बर 2008

विषय– **वित्तीय वर्ष 2008–09 में नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल की निर्माणाधीन नानघाट पेयजल योजना हेतु धनावंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार तथा पूर्व शासनादेशों क्रमशः संख्या 448/नौ–2/04(60पे0)/2003 दिनांक 28.02.04, संख्या 1508/उन्तीस(2)/06–2(60पे0)/2003 दिनांक 23.03.06 एवं संख्या 388/उन्तीस(2)/06–2(60पे0)/2003, दिनांक 23.03.07 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत संलग्न बीएम–15 में उल्लिखित विवरणानुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से जनपद पौड़ी गढ़वाल की निर्माणाधीन नानघाट पेयजल योजना के निर्माण कार्यो के कियान्वयन हेतु कुल रू0 1100.00 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नाकिंत प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक वित्तीय एंव भौतिक प्रगति के आधार पर शासन के अनुमोदन से किस्तों में ही किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण उच्च स्तरीय समीक्षा/अनुश्रवण पर किया जायेगा।

3 धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार में प्रस्तुत करके आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या व दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध कराई जायेगी।

4 स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजनाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो के सापेक्ष शासन के वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार सेन्टेज अनुमन्य किया जाता है।

6 व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल/ फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षेम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टेक्निकल स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7 कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एंव कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

क्रमश..2

8 व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्त नियमावलीं एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन किया जाय।

9– उपरोक्त के अतिरिक्त इस योजना पर धनावंटन सम्बंधी निर्गत पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्ते यथावत् रहेंगी।

10– चूंकि परियोजना के निर्माण में विलम्ब हो चुका है एंव योजना की लागत अत्यधिक है। अतः पुनरीक्षित आगणन शीध्र प्रस्तुत कर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन नियमानुसार करा लिया जाय।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग 31.03.2009 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

12– योजना के निर्माण कार्यो हेतु पर्टचार्ट के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सहित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा समय–समय पर की जाय तथा तद्नुसार प्रत्येक माह शासन को अवगत कराया जाय।

13 उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति– आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यकम–05–नगरीय पेयजल– 01–नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

14 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 687/XXVII (2)/2008 दिनांक 04 अगस्त, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एम0एच0खान)
सचिव

सख्या 382(1)/उन्तीस(2)/08–2(126पे0)/2007,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3– जिलाधिकारी, देहरादून/ पौड़ी
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6– निजी सचिव, मा0 पेयजल मंजी जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7– स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
8– वित्त अनुभाग–3/राज्य योजना आयोग/वित्त बजट सैल।
9– निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क निदेशालय, ई0सी0 रोड, देहरादून।
10–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11–सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।।
13 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिह तड़ागी)
उप सचिव

बी0एम0–15 पुर्नविनियोग–2008–09

आयोजनागत

क अधिकारी:–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
सनिक विभाग:– पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।

(रू0 हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मद्वार अध्यावधिक स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशैष धनराशि।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215–जलापूर्ति तथा सफाई				2215–जलपूर्ति तथा सफाई			(क) भारत सरकार से धनावंटन प्राप्त न होनें के कारण (ख) मद में समुचित धनराशि प्राविधानित न होनें के कारण।
01–जलपूर्ति–आयोजनागत				01–जलपूर्ति–आयोजनागत			
101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम				101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना। 01– नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण (के0स0)				05–नगरीय पेयजल 01– नगरीय पेयजल तथा जलोतसारण योजनाओं के लिए अनुदान			
20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता 150000	–	–	150000(क)	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 110000(ख)	200000	40000	
योग:– 150000	–	–	150000	110000	200000	40000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुर्नविनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लधन नही होता है ।

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्या: 687(क) XXVII-(2) /2008
देहरादून : दिनांक: 04 अगस्त 2008

पुर्नविनियोग स्वीकृत

(एम0सी0जोशी)
अपर सचिव वित्त

सेवा में

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड
देहरादून ।

संख्या 382–(क)/उन्तीस/08–2–(126)/2007, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–कोषाधिकारी, ~~उत्तरकाशी~~ । 2. वित्त अनुभाग–2
3–जिलाधिकारी, ~~उत्तरकाशी~~ ।

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव